प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्टट परिशिष्टट 'चउवन' प्रश्न सं. [क. 1762]

पारिष्ट - 26.

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,जबलपुर

दिनांक 30.04.2012 से 25.01.2016 तक की जानकारी

		(<u></u>	प्रकरण की स्थिति	रिमार्क
ī.	शिकायत दिनांक	छात्र/छात्रा का नाम	श्री यादव की राशि त्रुटिवश अन्य के	
1.	17.11.2015	खाते में चली गई जानकारी संज्ञान में उ खाते में ट्रांसफर कर दें लिए संबंधित लिपिव घोरमारे को दि. 18.11.2 बनाओ सचनापत्र दिया	खाते में चली गई थी जिसकी जानकारी संज्ञान में आते ही उनके खाते में ट्रांसफर कर दी गई। त्रुटि के लिए संबंधित लिपिक श्री रवीन्द्र घोरमारे को दि. 18.11.2015 को कारण बनाओ सचनापत्र दिया गया।	
2.	29.12.2015	कु, आर्ची चौरसिया	एस.सी./एस.टी. सेल के लिपिक श्री रवीन्द्र घोरमारे की इलाहाबाद बैंक से दि. 29.12.2015 को शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 29.12.2015 को सिविल लाइन थाना में प्रथम दृष्टतया रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई गई एवं तदनुसार मा.द.वि. की धारा 409, 420 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध हुआ है। श्री रवीन्द्र घोरमारे को प्रथम दृष्टतया दोषी पाये जाने पर इन्हें कार्यालयीन आदेश दिनांक 30.12.2015 के द्वारा निलंबित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है।	

अनुमाग अधिकारी अध्य प्रदेश शासन. इन्ह्य शिक्षा विभाग (शाखा - 3). इंद्रालय, भोपाल. कुलसचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,जबलपुर